मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1336

13 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

सभी के लिए आवास का लक्ष्य हासिल किया जाना

1336 # श्री नीरज डांगी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को किस हद तक हासिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार के पास वर्तमान में भूमिहीन और बेघर लोगों के बारे में कोई आंकड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की लक्ष्य क्षमता का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने का विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय जून, 2015 से 'सभी के लिए आवास' मिशन के तहत सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को सभी मौसमानुकूल पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करके प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) लागू कर रहा है।

पीएमएवाई-यू मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 27.02.2023 की स्थिति के अनुसार 1.20 करोड़ से अधिक आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 109.02 लाख आवासों की निर्माण हेतु नींव रखी जा चुकी है; जिनमें से 71.01 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू योजना की कार्यान्वयन अवधि, जो पहले 25.06.2015 से 31.03.2022 तक थी, को ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) घटक को छोड़कर 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है ताकि योजना के वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में परिवर्तन किए बिना सभी स्वीकृत आवासों को पूरा किया जा सके।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में बेघर लोगों की संख्या 17,73,040 थी जिसमें शहरी क्षेत्रों के 9,38,348 और ग्रामीण क्षेत्रों के 8,34,692 लोग शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

दिनांक 13-03-2023 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं0 1336 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बेघर जनसंख्या

क्र. सं०.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेघर जनसंख्या (संख्या में)		
		कुल	शहरी	ग्रामीण
1	आंध्र प्रदेश	1,45,211	75,857	69,354
2	अरुणाचल प्रदेश	1,556	313	1,243
3	असम	12,919	2,527	10,392
4	बिहार	45,584	12,591	32,993
5	छत्तीसगढ	24,214	6,533	17,681
6	गोवा	3,051	1,693	1,358
7	गुजरात	1,44,306	84,822	59,484
8	हरियाणा	51,871	23,789	28,082
9	हिमाचल प्रदेश	4,098	872	3,226
10	जम्मू और कश्मीर	19,047	10,848	8,199
11	झारखंड	23,391	6,967	16,424
12	कर्नाटक	76,735	35,473	41,262
13	केरल	11,853	7,761	4,092
14	मध्य प्रदेश	1,46,435	66,055	80,380
15	महाराष्ट्र	2,10,908	1,11,373	99,535
16	मणिपुर	3,212	1,331	1,881
17	मेघालय	1,241	177	1,064
18	मिजोरम	152	104	48
19	नागालैंड	876	344	532
20	ओडिशा	34,061	14,053	20,008
21	पंजाब	46,714	18,374	28,340
22	राजस्थान	1,81,544	73,236	1,08,308
23	सिक्किम	277	32	245
24	तमिलनाडु	50,929	37,117	13,812
25	त्रिपुरा	3,225	1,352	1,873
26	उत्तर प्रदेश	3,29,125	1,80,929	1,48,196
27	उत्तराखंड	11,824	5,556	6,268
28	पश्चिम बंगाल	1,34,040	1,04,967	29,073
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	95	65	30
30	चंडीगढ़	4,139	4,133	6
31	दादरा और नगर हवेली	1,004	281	723
32	दमन और दीव	737	591	146
33	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	47,076	46,724	352
34	पुदुचेरी	1,590	1,508	82
	भारत	**17,73,040**	**9,38,348**	**8,34,692**

स्रोत: बेघर जनसंख्या, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय।

नोट: *: आंध्र प्रदेश का अर्थ पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य है, अर्थात् वह क्षेत्र जो वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को शामिल करता है।

******